न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू. दिनांक	निर्णय दिनांक
489 / 2022	28.11.2022	25.05.2023

समवान

1. लक्ष्मी कपूर पत्नी अनिल कपूर जाति खत्री
2. सुनीला कपूर पुत्री)अनिल कपूर जाति खत्री
3. पैन्सी कपूर पुत्रीअनिल कपूर जाति खत्री
4. मानव कपूर पुत्र अनिल कपूर जाति खत्री निवासीयान ए–3 / 31 सैक्टर 5 रोहिणी।

वादीगण।

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
2. हरिसिंह पुत्र निहालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
3. नानजीसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

5. कैलादेवी पत्नी बलवीर जाति अहीर
6. अशोक पुत्र बलवीर जाति अहीर
7. मुकेश देवी पुत्री बलवीर जाति अहीर
8. राकेश पुत्र बलवीर जाति अहीर निवासीयान ग्राम बबानिया हाल आवाद माजरा तह0 नीमराना।
9. अभयसिंह पुत्र नत्थूराम जाति अहीर
10. धर्मवीर पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
11. मूसदीलाल पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
12. सुल्तान पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकारारहक व दुरूस्ती इंद्राज एंव हु0ई0 दवामी

उपस्थिती:–

1. श्री मंजीत कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 1113 / 0.52,1114 / 0.25,1115 / 0.34 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2067–2070 के मगंतु,बलबीर पुत्रान रतीराम 1 / 2 भाग के व सुलतान,मुसदीलाल 1 / 2 दर हिस्सा 1 / 2 व अभयसिंह,समयसिंह,धर्मवीरसिंह 1 / 6 भाग के व 1 / 12 भाग का नानजीसिंह दर्ज है,तथा इसी अनुसार काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है। मगंतु के फौत होने पर 1 / 4 भाग के विरासत का इंतकाल सं. 1054 दिनांक 20.10.2020 को देशराज पु? मगंतुसिंह के हक मे दर्ज हो कर स्वीकार हुआ। तथा देशराज ने अपने 1 / 4 भाग को जरिये रजि0 बैयनामा के वादीगण के पति /पिता अनिल कपूर बेचान कर दिया। जिससे 1 / 4 भाग का इंतकाल सं. 1178 दिनांक 05.06.2012 दर्ज हो कर स्वीकृत हो चुका है, व राजस्व रिकॉर्ड मे अमल मे होगया है। यक्त खरीद से अनिल कपूर आजीवन काबिज रहकर काश्त करता रहा अब अनिल कपूर के फौत होने पर इनके जायज वारीसान वादीगण काबिज है अनिल कपूर के फौत होने के पश्चात 1 / 4 भाग पर बिनी किसी रूकावट के काबिज रहकर

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

काश्त करते चले आ रहे है व काबिज काश्त है। अनिल कपूर क परिवार का सजरा वाद मे अंकित्त है। मृतक अनिल कपूर की विरासत का इंतकाल वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का से मिले तब पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड देखकर अनिल कपूर का हिस्सा 1/8 भाग होना बताया जिस पर हम वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की जब जानकारी हुई की राजस्व विभाग के कर्मचारीयों द्वारा चौसाला की कार्यवाही करते समय प्रतिवादी सं. 1,2 का नाग राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया तथा नानजीसिंह का 1/12 भाग के स्थान पर 1/8 भाग दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी सं. 1,2 का उक्त आराजी से कोई सरोकार नही है। राजस्व विभाग द्वार गलत नाम दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका, खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा व रिकॉर्ड के है। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना लाजिम आया है।

2. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:-

(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज बहक वादीगण एंव तर0प्रति. विरूद्ध असल प्रतिवादीगण इस आशय कि सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल 1113,1114,1115 वाके ग्राम बसाई भोपालसिंह तह0नीमराना जिसमें वादीगण के पति/पिता मृतक अनिल कपूर ने देशराज पुत्र मगंतुसिंह का 1/4 भाग जरिये रजि0 बैयनामा के खरीद किया था जिसका इंतकाल सं0 1178 दिनांक 05.06.2012 का दर्ज हो कर स्वीकार हो चुका है व राजस्व रिकॉर्ड मे अमल भी हो चुका है। परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारीयों के द्वारा चौसाला तैयार करते समय अनिल कपूर का 1/4 भाग के स्थान पर 1/8 भाग व तर0प्रति0 बलबीर का 1/4 भाग के स्थान पर1/8 भाग तर0प्रति0 सं. 11,12 का 1/8,1/8 भाग के स्थान पर 1/12,1/12 भाग दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 01व 02 का नाम व हिस्स गलत दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 03 का 1/2 भाग के स्थान पर 1/8 भाग दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका,खिलाफ कब्जा,खिलाफ साबिक रिकार्ड के हैं, जिसे पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर दुरूस्त किया जकार प्रतिवादी सं. 01,02 कानाम कलमजन किया जाकर एंव प्रतिवादी सं0 3 का 1/8 भाग को सही किया जाकर 1/8 भाग के स्थान पर 1/12 भाग अंकित किया जावे तथा अनिल कपूर पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश कपूर का 1/8 भाग के स्थान पर 1 भाग अंकित किया जावे चुकि अब अनिल कपूर का स्वार्गवास हो चुका है इसलिए अनिल कपूर के 1/4 भाग से अनिल कपूर का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक कब्जा व परिवार सजरा के वादीगण को 1/4 भाग का संभाग रूप मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तर0प्रति0 सं0 05 लगा. 08 को 1/32,1/32 भाग के स्थान पर 1/16,1/16 भाग का व तर0प्रति0 सं0 11,12 को 1/12,1/12 के स्थान पर 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एव इसी प्रकार राजस्व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी विवादित वाके ग्राम कायरा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष वैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रतिवादीगण तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए। लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तर0प्रति0 सं. 05 लगा0 10 की ओर से इकबाल जवाद दावा पेश किया गया,जिसमे तर0प्रति0 सं. 05 लगा. 10 ने वादीगण के वाद को मुताबिक दावा डिक्री किये जाने पर तर0प्रति0 को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

4. वादीगण ने अपने साक्ष्य मे स्वय का शपथपत्र,मानव पुत्र अनिल कपूर के शपथपत्र पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2073-76 प्रदर्श 01, नकल हाल जमाबंदी संवत 2071-74 प्रदर्श 2,नकल जमाबंदी संवत 2067-70 प्रदर्श 03,नकल इंतकाल सं0 1178 प्रदर्श 05 ,नोटिस धारा 80 सी0पी0वी0 प्रदर्श 06 पेश किए है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

S/dd/2023

5. हमने वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी व बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रदर्श 03 के अवलोकन से यह साबित होता है आराजी विवादित मगंतुसिंह,बलबीर पुत्र रतीराम कौम अहीर सा0बवानिया तह0नारनौल जिला महेन्द्रगढ हिस्सा 1/2,सुलतानसिंह,मुसदीलाल पि. बनवारीसिंह 1/2 दर हि0 1/2,अभयसिंह,समयसिंह,धर्मवीर सिंह पुत्र नत्थूराम अहीर माजरा हि0द 1/6 नानजीसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिस मे खातेदार मगंतुसिंह पुत्र रतीराम के फौत होने उसका 1/4 भाग जरिये विरासत इंतकाल सं0 1054 दिनांक 20.10.2010 को मगंतुसिंह के विधिक वारिस देशराज पुत्र मगंतुसिंह के नाम दर्ज व मजूंर हुआ। जिके आधार पर देशराज पुत्र मगंतसिंह को आराजी मुतनाजा के हक व अधिकार प्राप्त हुए। देशराज पुत्र मगंतुसिंह ने दिनांक 23.04.2012 को जरिये रजि0 बयनामा के आराजी मुतनाजा मे अपने हक व हिस्से की 1/4 भाग की आराजी का बेचान वादीगण के पति/पिता अनिल कपूर पुत्र चन्द्रप्रकाश को कर दिया। उक्त बैयनामा के आधार पर बेचान का इंतकाल सं0 1178 दिनांक 05.06.2012 प्रदर्श 05 ग्राम पंचायत माजरा के पूर्ण मे पेश किया गया जिसे ग्राम पंचायत माजरा की पूर्ण कोरम के द्वारा अनिल कपूर पुत्र चन्द्रप्रकाश के पक्ष मे दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर राजस्व जमाबंदी संवत 2067–70 मे देशराज पुत्र मगंतुसिंह का हिस्सा की आराजी का अमल वादीगण के पति/पिता अनिल कपुर पुत्र चन्द्रप्रकाश के नाम से हुआ जिसमे वादीगण के पति/पिता का हिस्सा 1/4 अंकित है। जिससे यह साबित होता है कि संवत 2067–70 मे वादीगण के पति /पिता आराजी विवादित मे 1/4 भाग का खरीदार काश्तकार था। परन्तु आगामी जमाबंदी संवत 2071–74 कायम करते समय अनिल कपूर पुत्र चन्द्रप्रकाश का हिस्सा 1/4 के बजाय 1/8 गलत रूप से अंकित कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 का हिस्सा अधिक दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव साक्ष्य से वाद वादीगण भंलि भाति साबित होता है तथा वाद वादीगण काबिले डिक्री है।

6. अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहक वादीगण एंव तर0प्रति. विरुद्व असल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1113/0.52,1114/0.25,1115/0.34 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह तह0नीमराना के 1/4 भाग वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल जमाबंदी मे हो रहे गलत हिस्सों को दुरुस्त कर प्रतिवादी सं. 01,02 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे तथा वादीगण को 1/4 भाग का संभाग रूप मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा तर0प्रति0 सं0 05 लगा. 08 को 1/32,1/32 भाग के स्थान पर 1/16,1/16 भाग का व तर0प्रति0 सं0 11,12 को 1/12,1/12 के स्थान पर 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। एंव इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या
489 / 2022

रजू दिनांक
28.11.2022

निर्णय दिनांक
25.05.2023

उनवान

1. लक्ष्मी कपूर पत्नी अनिल कपूर जाति खत्री
2. सुनीला कपूर पुत्रीअनिल कपूर जाति खत्री
3. पेन्सी कपूर पुत्रीअनिल कपूर जाति खत्री
4. मानव कपूर पुत्र अनिल कपूर जाति खत्री निवासीयान ए—3 / 31 सैक्टर 5 रोहिणी।

वादीगण।

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
2. हरिसिंह पुत्र निहालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
3. नानजीसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

5. कैलादेवी पत्नी बलबीर जाति अहीर
6. अशोक पुत्र बलबीर जाति अहीर
7. मुकेश देवी पुत्री बलबीर जाति अहीर
8. राकेश पुत्र बलबीर जाति अहीर निवासीयान ग्राम बवानिया हाल आबाद माजरा तह0 नीमराना।
9. अभयसिंह पुत्र नत्थूराम जाति अहीर
10. धर्मवीर पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
11. मूसदीलाल पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
12. सुल्तान पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासीयान ग्राम माजरा तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकाराराहक व दुरूस्ती इंद्राज एंव हु0ई0 दवामी

उपस्थिती:—

1. श्री मंजीत कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 25.05.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण एंव तर0प्रति. विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1113 / 0.52,1114 / 0.25,1115 / 0.34 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह तह0नीमराना के 1 / 4 भाग वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल जमाबंदी मे हो रहे गलत हिस्सों को दुरूस्त कर प्रतिवादी सं. 01,02 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1 / 12 भाग का खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे तथा वादीगण को 1 / 4 भाग का संभाग रूप मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा तर0प्रति0 सं0 05 लगा. 08 को 1 / 32,1 / 32 भाग के स्थान पर 1 / 16,1 / 16 भाग का व तर0प्रति0 सं0 11,12 को 1 / 12,1 / 12 के स्थान पर 1 / 8,1 / 8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। एंव इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)